

बसोर जाति एक आदिकाल की जाति है जिसका परंपरागत व्यवसाय बांस के बर्तन बनाना, बैंड बाजा बजाना मुख्य व्यवसाय है जो कि एक आदिवासी जंगली जाति है लेकिन समय रहते बसोर समाज पर अध्ययन नहीं होने एवं आधुनिक युग आने के कारण वह परंपरागत व्यवसाय बांस के बर्तन बनाना ही बिलुप्त होता जा रहा है एक समय था कि बसोर जाति द्वारा बांस बर्तन बने हुए गांव के प्रत्येक घर में मिलते थे जिससे किसानों को खेत खलियान में डालिया, टुकनियां, सूपा, बिजना-पंखा इत्यादि होते थे। दूसरा व्यवसाय बैंड बाजा बजाना जो कि मंगल कार्यों में बजाया जाता है वही व्यवसाय आज अन्य जातियों के द्वारा अपना व्यवसाय बना लिया गया है।

आज के समय में जो बसोर जाति के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं उनको भूखे मरने के सिवाय और कुछ नहीं है या फिर वह अपना घर द्वारा छोड़कर शहरों की ओर पलायन करे जिससे वह अपनी रोज रोटी ही चला सकते हैं। अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते हैं।

यहां यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि इस देश में बसोर जाति की जिंदगी एक जानवर से भी गई गुजरी है। ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में बसोर जाति से ही उसकी समकक्ष जातियां भी छुआछूत मानती हैं। तो अन्य पिछ़ा वर्ग एवं सामाज्य वर्ग की तो बात ही अलग है इस जाति को ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे वह शासकीय मजदूरी या किसी जमीदार की मजदूरी हो मजदूरी पर नहीं लगाया जाता है। यदि इस जाति के व्यक्ति को मजदूरी पर लगाते हैं तो वह अशुद्ध हो जाएगे यहां तक कि शासकीय पाठ्यशालाओं एवं निजी पाठ्यशालाओं में भी बच्चों को अन्य जाति के बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता है इन्हें अलग से बैठना पड़ता है सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों को

शासकीय विद्यालयों मध्यान भोजन दिया जाता है लेकिन बसोर जाति के बच्चे को अन्य जाति के बच्चों के साथ भोजन नहीं खाने दिया जाता है / जब से देश आजाद हुआ है तब से सरकार मानव अधिकार/ अनूसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के माध्यम से अस्थपृस्ता मिटाने के लिए पूरी कोशिश कागजों पर ही कर रही है। जब कि आज की स्थिति में भी बसोर समाज एक उसकी उपजातियों को सर्वजनक स्थान जैसे कुआं, हेन्डपंप, तालाब, मंदिर, जैसी जगहों पर आज भी चढ़ने नहीं दिया जाता है। होटल में चाय पीने के लिए भी नहीं बैठने दिया जाता है ऐसी समस्त घटनाओं से अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति ने लगातार भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को अवगत कराते आ रहे हैं।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा भूखमरी एवं छुआछूत हटाने का दावा कर रही है जो कि समस्त दावे कागजों तक ही सीमित है आज यहां भी यदि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा बसोर जाति एवं ऊपर उल्लेखित जातियों की मांगों/समस्याओं का निराकरण 3 माह में नहीं किया तो धरना, प्रदर्शन एवं मानवीय सर्वोच्च व्यायालय महोदय का ध्यानाकर्षण कराना चाहेंगे कि इस देश में जंगल/नदियां/